बिहार सरकार

समाहरणालय, खगड़िया

ई–मेल :– survey.office.khagaria@gmail.com बेवसाईट :– khagaria.nic.in

बंदोवस्त कार्यालय, खगड़िया (नजारत शाखा)

(अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना)

खगड़िया जिलान्तर्गत बंदोवस्त कार्यालय खगड़िया से संबद्ध शिविरों में व्यवहृत होनेवाले लेखन सामग्री, स्टेशनरी तथा कार्यालय में प्रयुक्त होनेवाली सामग्रियों इत्यादि की दिना–नु–दिन के आधार पर स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओं से सामग्रियों की आपूर्ति के निमित्त योग्य निबंधित फर्मो से द्विलिफाफा पद्धति के तहत् **दिनांक–24.09.2020** को **अपराह्न 01 बजे** तक मुहरबंद निविदा बंदोवस्त कार्यालय, खगड़िया में आमंत्रित की जाती है। निविदा दाखिल के अंतिम निर्धारित तिथि को ही **अपराह्न 03 बजे** जिला क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें संबंधित निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं। तकनिकी निविदा के सफल होने पर वित्तीय निविदा खोली जायेगी। निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी खगड़िया जिला के वेवसाईट khagaria.nic.in पर भी देखा जा सकता है। लेखन सामग्री, स्टेशनरी तथा कार्यालय में प्रयुक्त होनेवाली सामग्रियों इत्यादि की आपूर्ति की जानेवाली सामग्री का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	सामग्री का नाम	Qnty.
1	मापने का टेप	123
2	गुनिया	123
3	प्लॉटिंग स्केल	123
4	स्केल 30 से0मी0	123
5	कैलकुलेटर	144
6	डिवाईडर ब्रास	105
7	तख्ती तिपाई	112
8	सूजा	105
9	मैप कंटेनर / कवर	105
10	लकड़ी का टेबुल	28
11	लकड़ी का कुर्सी	28
12	प्लास्टिक कुर्सी	210
13	बक्सा	35
14	चेन (जरीब)	07

उपर्युक्त निविदा निम्नांकित शर्तों एवं बंधेजों के अधीन की जाती है :–

(1) निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में 10,000=00 (दस हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो तथा समाहर्त्ता–सह–बंदोवस्त पदाधिकारी, खगड़िया के पक्ष में भुगतेय हो या इतनी ही राशि का नजारत बंदोवस्त कार्यालय, खगड़िया द्वारा निर्गत नाजिर रसीद संलग्न करना होगा।

(2) तकनिकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग दाखिल करना होगा तथा वित्तीय निविदा निम्नांकित प्रपत्र में देने पर ही मान्य होगा :–

क्र0 सं0	सामग्री का नाम	मात्रा	दर (सभी करों एवं खर्च सहित)

(3) दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत जारी अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र / माल एवं सेवा कर (GST) / निबंधन प्रमाण पत्र तथा माह जुलाई–2020 तक (GST) दाखिला विवरणी संलग्न करनी होगी।

(4) निविदादाता फर्म को पैन कार्ड की अभिप्रमाणित प्रति के साथ वित्तीय वर्ष–2019–20 (कर निर्धारण वर्ष–2020–21) तक आयकर रिर्टन दाखिला विवरणी संलग्न करना होगा।

(5) अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता को मांग आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर गुणवत्तापूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति बंदोवस्त कार्यालय, खगड़िया में करनी होगी जिसके लिये कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। अन्यथा समानुपातिक रूप से विपत्र से कटौती करते हुए भुगतान की जायेगी।

(6) निविदत्त सभी सामग्रियों की आपूर्ति लेने की प्रतिबद्धता नहीं होगी, क्योंकि यह दिना–नु–दिन के आवश्यकता पर आधारित है। फलतः सभी सामग्रियों की आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठानों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(7) सभी निविदादाता/उनके प्रतिनिधि निविदा खोलने की निर्धारित तिथि एवं समय पर आपूर्ति की जानेवाली सामग्रियों के सीलबंद नमूनों के साथ उपस्थित रहेंगें।

(8) निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(9) निविदा को बिना कारण बताये संशोधित, स्थगित एवं रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

(10) किसी भी परिस्थिति में Sub-Contracting स्वीकार्य नहीं होगा। इसकी जानकारी मिलने पर फर्म के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं फर्म को काली सूची में डाल दी जायेगी से संबंधित घोषणा पत्र देना होगा।

(11) सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम राशि देय नहीं होगा।

(12) राशि आवंटन प्राप्ति में विलम्ब होने की स्थिति में विपत्र भुगतान में विलम्ब हो सकता है।

(13) किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

ज्ञापांक–212/रा0, दिनांक :– 11-09-2020

प्रतिलिपिः– निदेशक, भू– अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

ज्ञापांक 212/रा0, दिनांक :– 11-09-2020

प्रतिलिपिः– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

ज्ञापांक–212/रा0, दिनांक :– 11-09-2020

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उन्हें निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं अन्य माध्यम से अल्पकालीन निविदा सूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार करेंगे ।

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।